

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1909

11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : तिरुपति में पीएमएफबीवाई के तहत नामांकित किसान

1909. श्री मड्डीला गुरुमूर्ति:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तिरुपति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत नामांकित कुल किसानों की संख्या कितनी है तथा इस योजना के अंतर्गत शामिल की गई फसलों का ब्यौरा क्या है:

(ख) इस अवधि के दौरान पीएमएफबीवाई के अंतर्गत तिरुपति में कुल कितने दावे प्रस्तुत किए गए तथा किसानों को कितनी राशि का मुआवजा वितरित किया गया तथा दावों के निपटान में औसतन कितना समय लगा; और

(ग) क्या सरकार ने तिरुपति में पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन में किसी चुनौती या कमी की पहचान की है, जैसे कि कम कवरेज या दावों के निपटान में देरी और यदि हां, तो इन मुद्राओं के समाधान तथा क्षेत्र में योजना की प्रभावशीलता में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): तिरुपति संसदीय क्षेत्र में वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के तहत कुल 2.63 लाख किसानों को नामांकित किया गया। वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	नामांकित किसानों की संख्या	बीमित क्षेत्र हेक्टेयर में
2022-23	109866	127259
2023-24	118808	142695
2024-25	34404	35553
कुल	263078	305507

इस योजना के अंतर्गत आने वाली फसलों में धान, मूँगफली, बाजरा, कपास, मूँग, उड्ड, बंगाल चना और एसिड लाइम शामिल हैं।

(ख): खरीफ 2022 के लिए, जुलाई 2023 में 541 किसानों को कुल 22.05 लाख रुपये की दावा राशि वितरित की गई। तथापि, किसानों के हिस्से और राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में राज्य सरकार के हिस्से के संबंधित बीमा कंपनियों को लंबित प्रेषण के कारण बाद के मौसमों के दावों का निपटान प्रभावित हुआ है।

(ग): समग्र प्रक्रिया में सुधार के लिए, राज्य सरकार ने रबी 2024-25 से प्रभावी स्वैच्छिक नामांकन मॉडल पर जाने का फैसला किया है।

सरकार जागरूकता कार्यक्रमों और सुदृढ़ आउटरीच पहलों के माध्यम से किसानों की भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ा रही है। ये प्रयास किसानों को फसल बीमा के लाभों के बारे में शिक्षित करने और योजना में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो अंततः पीएमएफबीवाई की समग्र प्रभावशीलता में सुधार करते हैं।
